


52/2018

12.7.19

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रकरण लम्बे समय से विप्रार्थीगण की तलबी में विचाराधीन चल रहा है। लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी आदिनांक तक सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि वकील प्रार्थी आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।


सुपखण्ड अधिकारी
दिवाना (बढ़नेर)

